



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बाड़मेर में पंचायत समिति-सिवाणा के कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जे.टी.ए.) को 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 24 अप्रैल। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बाड़मेर इकाई द्वारा आज शनिवार को कार्यवाही करते हुये पंचायत समिति-सिवाणा, बाड़मेर के कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जे.टी.ए.) देवेन्द्र मालवीय को परिवादी से 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा किये गये विभिन्न विकास कार्यों की मजदूरी एवं बकाया बिलों की राशि के भुगतान की एवज में पंचायत समिति सिवाणा के कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जे.टी.ए.) देवेन्द्र मालवीय द्वारा पंचायत समिति के अधिकारी/कर्मचारियों के कमीशन के रूप में 1 लाख रुपये की राशि रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की बाड़मेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामनिवास के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री मुकुन्ददान एवं उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये देवेन्द्र मालवीय पुत्र श्री मांगीलाल मालवीय निवासी विजयनगर, भगत की कोठी, जोधपुर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जे.टी.ए.) पंचायत समिति-सिवाणा, बाड़मेर को परिवादी से 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।